

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,

प्रथम तल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल-462004

// आदेश //

भोपाल, दिनांक /02/2020

फा0क0 1003/2020/21-ब(दो), राज्य शासन, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (सन 1974 क सं,2) की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत शक्तियों के प्रयोग में एतद्वारा,

श्री दिनेश कुमार शंकपाल, अधिवक्ता (पंजीयन क्रमांक 1006/2007) को जिला बुरहानपुर के लिए इस आदेश दिनांक से एक वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने, जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिए परिविक्षा पर लोक अभियोजक नियुक्ति करता है तथा उन्हें नियम 17 (3) विभागीय नियमावली, विधि और विधायी कार्य विभाग के अंतर्गत शासकीय अभिभाषक के रूप में पदाभिहित करता है। यह नियुक्ति किसी भी समय बिना कोई कारण बताये निरस्त की जा सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(संतोष प्रसाद शुक्ल)

अतिरिक्त सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14/02/2020

पृ0क्रमांक 1003/2020/21-ब(दो),
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, इन्दौर, संभाग, इन्दौर, (म0प्र0),
2. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर, (म0प्र0), की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, बुरहानपुर, (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्री दिनेश कुमार शंकपाल, अधिवक्ता पता-23 पुष्पकुंज संतोषनगर, आदर्श कॉलोनी के पिछे बुरहानपुर जिला बुरहानपुर म0प्र0, की ओर पालनार्थ एवं सूचनार्थ प्रेषित।
5. माननीय विधि मंत्रीजी मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग के निज सचिव, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- ✓ 6. आई.टी. प्रकोष्ठ की ओर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वेबसाईट पर दर्ज सूची अद्यतन करने हेतु प्रेषित।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(संतोष प्रसाद शुक्ल)

अतिरिक्त सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग